UPKJ010020332019

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।

उपस्थितः–पूर्णिमा पाठक.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code.U.P 1570

सत्र परीक्षण संख्या –42/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

बनाम

1. राजूपाल पुत्र साहब सिंह पाल उम्र 29 वर्ष

2. गोविन्द वर्मा पुत्र साहब सिंह वर्मा उम्र 28 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम टंड़ारामपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0 260/2014
धारा– 323/34,504 व 506 भा0दं0सं0
व धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– सौरिख, जिला कन्नौज।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण थाना सौरिख जनपद कन्नौज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द वर्मा के विरूद्ध अपराध सं0 260/2014 धारा 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में प्रेषित आरोपपत्र पर आधारित है। सशक्त न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा विशम्बर कठेरिया पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम टउारामपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि,

दिनांक 27.06.2014 को समय रात्रि करीब 11:00 बजे वह, विजेन्द्र जाटव लाइट व टेन्ट के मालिक के साथ रात्रि में लेवर का कार्य कर रहा था। वहीं गोविन्द का मोबाइल चार्जिंग में लगा था। मोबाइल लेने में उससे बातचीत कर रहे थे। इतने में पीछे से आये राजूपाल, धीरू पाल, आलोक पाल उर्फ चीनी ने उसके उपर बिना किसी बात के हमला बोल दिया और लात – घूसों से पीटने लगे व धीरूपाल हाथ में तमंचा की वट से चेहरे पर वार किये। ये तीनों लडके दबंग व झगड़ालू किस्म के लोग हैं। कई बार गॉव के लोगों के साथ गाली–गलौज व मारपीट कर चुके हैं और कहते हैं कि टडारामपुर के हम लोग दादा हैं और धमकी दी कि धनुका साले अगर कहीं शिकायत या थाने में रिपोर्ट की तो जान से मार देगें। जातिसूचक गालियॉ देते हुए तमंचा लहराते हुए चले गये, जिसे गोविन्द व बिजेन्द्र जाटव ने खुद देखा और उसका पूरा घर इन तीनों की

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.18 17:40:42 IST
Reason: Judgement
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

गुण्डागर्दी से दहशत में हैं। उक्त घटना में भूपेन्द्र पाल भी था। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सौरिख जनपद कन्नौज में अपराध सं0 260/2014 धारा 323,504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण राजूपाल, धीरूपाल, आलोक पाल उर्फ चीनी व भूपेन्द्र पाल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसकी प्रविष्टि जी0डी0 में की गयी। पुलिस की मजरूबी चिट्ठी के आधार पर मजरूब विशम्बर का चिकित्सीय परीक्षण व एक्सरे हुआ। विवेचक नियुक्त हुए जो मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर उसका नक्शानजरी बनाये। गवाहों के बयान अंतर्गत धारा 161 सी0आर0पी0सी0 दर्ज किये। बाद विवेचना मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द वर्मा के विरूद्ध धारा 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण को आहुत किया गया वे उपस्थित अदालत आये। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुनकर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 09.09.2019 को अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द वर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अंतर्गत धारा 323/34, 504 व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट का पाते हुए उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया। आरोपों को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया अभियुक्तगण ने विरचित आरोपों से इंकार किया और परीक्षण की मांग किया।

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा विशम्भर कठेरिया, पी0डब्लू0 2 पंकज कुमार, पी0डब्लू0 3 महेन्द्र सिंह पाल, पी0डब्लू0 4 विजेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0 5 सतेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0 6 ब्रजेश कुमार तथा पी0डब्लू0 7 डॉ0 सरदमन सिंह को परीक्षित हुए।

6. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रदर्श क–1 लिखित तहरीर वादी, प्रदर्श क–2 मजरूब विशम्भर की चिकित्सीय आख्या प्रस्तुत कर साबित कराये गये। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियोजन प्रपत्र एक्सरे रिपोर्ट मजरूब विशम्भर प्रदर्श क–3, चिक/एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–4, जी0डी0 प्रदर्श क–5, नक्शानजरी प्रदर्श क–6 व आरोपपत्र प्रदर्श क–7 की औपचारिक सत्यता को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया।

7. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द वर्मा का बयान अंतर्गत धारा 313 सी0आर0पी0सी0 दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कहानी को गलत बताया। पी0डब्लू0 1 ता पी0डब्लू0 7 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मुकदमा गलत चलने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की और अतिरिक्त कथन में कहा कि वे निर्दोष हैं।

8. अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में न कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2025 को अभियुक्तगण के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

9. अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने दिनांक 27.06.2014 को समय करीब रात्रि 11:00 बजे अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को मारपीट कर चोटे पहुंचायी एवं गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी एवं यह जानते हुए कि वादी मुकदमा अनुसूचित जाति का सदस्य है उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा ने अपने साक्ष्य से घटना का पूर्णतः समर्थन किया है एवं पी0डब्लू0 7 डॉक्टर द्वारा वादी मुकदमा की चोटों का परीक्षण किया एवं चिकित्सीय आख्या को साबित किया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध विरचित किये गये आरोपों में दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

10. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ न तो कोई मारपीट की न ही कोई गाली–गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी न ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 के साक्ष्य में घटना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभाष है। डॉ0 पी0डब्लू0 7 ने अपनी जिरह में कहा है कि मजरूब को आयी चोटें किसी सख्त खडंजे पर गिरने से आ सकती हैं। अभियोजन के शेष साक्षीगण ने उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया, बल्कि पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

11. मैंने उभय पक्षों की बहस सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि –

क्या दिनांक 27.06.2014 को समय 11 बजे रात स्थान बहद ग्राम टडारामपुर थाना सौरिख जिला कन्नौज के क्षेत्राधिकार में अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को मारपीट कर साधारण चोटे पहुंचायी, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया?

13. बतौर पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा /मजरूब विशम्भर परीक्षित हुई हैं, इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है और यह कथन किया है कि दिनांक 27.06.2014 को रात्रि करीब 11 बजे वह, रामेन्द्र के यहॉ अपने टैन्ट मालिक ब्रजेन्द्र के साथ बिजली का कार्य कर रहा था। रामेन्द्र के यहॉ तिलक था। गोविन्द का मोबाइल चार्जिंग पर लगा था जिसको बिजली का कार्य करते समय किनारे कर दिया। इसी बात

पर उसकी गोविन्द से बातचीत होने लगी। इतने में पीछे से राजूपाल, धीरूपाल, आलोकपाल व भूपेन्द्र पाल आ गये और सभी लोग मिलकर उसे लात–घूसों से मारने लगे। कहने लगे साले धनुका तूने मोबाइल कयों छुआ, जान से मार देगे। तमंचा धीरूपाल के पास था, जिसने तमंचे की वट से चेहरे पर चोट पहुंचायी थी। ये लोग पहले भी गॉव के कई लोगों के साथ मारपीट तथा गाली–गलौज कर चुके हैं। मौके पर बिजेन्द्र ने उसे बचाया और जाते समय जातिसूचक गाली देते हुए शिकायत करने पर जान से मारने देने की धमकी देकर चले गये। घटना में उसके चोटे आयी थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण सरकारी अस्पताल सौरिख में हुआ था। घटना की रिपोर्ट अगले दिन थाने पर लिखाई थी। तहरीर पर अपने निशानी अंगूठा को साबित किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसका एक्सरे जिला अस्पताल कन्नौज में हुआ था। घटना के सम्बन्ध में सी0ओ0 साहब ने उसका बयान लिया। झगडे वाली जगह उसने सी0ओ0 साहब को दिखाई थी।

जब बचावपक्ष ने जिरह किया तो जिरह में इस साक्षी ने यह कहा कि वह अपने मालिक बृजेन्द्र के साथ लाइट का कार्य 5–6 वर्ष पूर्व से कर रहा था। घटना वाले दिन रामेन्द्र के घर पर कार्य कर रहा था, उनके घर पर तिलक था। घटना के समय डी0जे0 बज रहा था खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम रात 10:30 बजे बंद हो गया था। डी0जे0 बज रहा था तमाम लोग नाच रहे थे। गोविन्द ने जहॉ डी0जे0 बज रहा था अपना मोबाइल चार्ज हेतु खुद लगाया था। उसने रिपोर्ट में यह बात लिखाई थी कि हाजिर अभियुक्त गोविन्द से उसकी कोई बात नहीं हुई। अभियुक्त गोविन्द का नाम उसने तहरीर में लिखकर दिया था। गोविन्द द्वारा घटना के समय मारपीट करने वाली बात तहरीर में लिखाई थी। राजूपाल, धीरूपाल, आलोकपाल उर्फ चीनी डी0जे0 पर नाच रहे थे। उसने अभियुक्त गोविन्द का मोबाइल जो डी0जे0 के पास लगा था उसको निकाल कर रख दिया और राजूपाल, धीरू तथा आलोक पीछे से आकर मारने लगे। बाद में उसे गोविन्द ने मारा। इन लोगों ने कम से कम पॉच मिनट तक मारा पीटा। किस अभियुक्त ने कितने लात–घूसे मारे वह नहीं बता सकता। मारपीट के दौरान वह जमीन पर गिर गया था। मारपीट में उसे चार–पॉच चोटे आ गयी थी, खून भी निकला था। उसे बृजेन्द्र, दीपू आदि लोगों ने बचाया था। घटना की तहरीर उसने दूसरे दिन थाना सौरिख में दूसरे व्यक्ति से लिखाई थी। जिस व्यक्ति से तहरीर लिखाई थी उसका क्या नाम था उसे नहीं पता। तहरीर लिखने वाले ने उसके बताने पर लिखी थी एक ही कलम से लिखी थी। यह बात सही है कि तहरीर में ''भूपेन्द्रपाल भी था तथा घटना दिनांक 27.06.2014 रात 11 बजे की थी'' बाद में लिखाया गया है।

इस साक्षी से पुनः जिरह दिनांकित 23.09.2022 को की गयी तो इस साक्षी ने जिरह में यह कहा कि उसने अपने अन्य सहयोगियों के साथ तिलक वाले स्थान पर सामियाना व डी0जे0 लगाया था। वह वहीं पर सामियाने व डी0जे0 तथा जनरेटर की देखभाल के लिये रूका था। तिलक समरोह उसी पण्डाल में खाना–पीना पॉच बजे शुरू हो गया था। खाना पीना खाकर लोग आ जा रहे थे और डी0जे0 बज रहा था, डांस करने वाले शराब भी पिये थे। डी0जे0 पर डांस करने वाले जो व्यवहार में आये थे वह शराब के नशे में लडने लगे थे। उसने डी0जे0 पर

डांस करने वालों को लडने से मना किया थां डी0जे0 पर डांस कर रहे लोगों में झगड़ा होने लगा। भगदड़ मच गयी। भीड़ में धक्का लगने से वह पुख्ता फर्श पर गिर गया था। गिरने से उसके शरीर पर पॉच चोटे आयी थी। धक्का देने वालों को उसने देखा था, पहचाना नहीं था। घ ाटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाने के बाहर अज्ञात व्यक्ति से लिखाई थी। वह तहरीर लिखने ववाले व्यक्ति ने तहरीर अपने मन से ख्लिाी थी। उसके बताने के अनुसार तहरीर नहीं लिखी थी और न तहरीर पढ़कर उसे सुनाई थी। उसी दिन सौरिख प्राथमिक स्ववास्थ्य केन्द्र पर उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था। हाजिर अदालत मुल्जिमान राजूपाल व गोविन्द घटनास्थल पर नहीं थे और न ही उसके साथ मारपीट की थी और न ही उसने इन्हें देखा था। दिनांक 20.11.2019 व 22.11. 2019 को जो बयान उसने न्यायालय में दिया था वह अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि पुलिस वालों के समझाने पर दिया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु अभियोजन पक्ष जिरह में इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे अभियोजन कथानक को कोई विशेष बल मिलता हो।

इस प्रकार पी0डब्लू0 1 के सम्पूर्ण बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह दिनांकित 20.11.2019 व दिनांकित 22.11.2019 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, परन्तु जब दिनांक 23.09.2022 को पुनः जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य देते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा कि घटना वाले दिन डी0जे0 पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे, जिनमें आपस में झगड़ा हो गया और धक्का–मुक्की में वादी फर्श पर गिर गया, जिससे उसे पॉच चोटे आयी थी। घटना की तहरीर उसने दूसरे दिन थाने के बाहर एक अंजान व्यक्ति से लिखाकर दी थी। उस अंजान व्यक्ति ने अपनी मर्जी से तहरीर लिखी थी। तहरीर उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी। अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द ने उसे मारपीटकर चोटे नहीं पहुंचायी थी न ही उसने उन्हें देखा था। पी0डब्लू0 1 के सम्पूर्ण साक्ष्य को एक साथ देखा जाये तो इस साक्षी ने पहले अभियोजन कथानक का समर्थन किया, परन्तु बाद में जिरह में पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया। किसी साक्षी के साक्ष्य को उसके सम्पूर्ण बयान के परिवेश में देखा जाता है न कि टुकड़ो में। पी0डब्लू0 1 के सम्पूर्ण बयान से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं।

14. पी0डब्लू0 2 पंकज कुमार परीक्षित हुए हैं इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत पक्षद्रोही साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि दिनांक 27.06. 2014 को वह अपनी रिश्तेदारी में गया था और दिनांक 28.06.2014 को शाम को लौटकर आया था। तब उसे दूसरे दिन लोगों ने बताया था कि लगुन में डी0जे0 पर नाचते समय विवाद हो गया था। इस कारण वहां भगदड़ मच गया। धक्का–मुक्की हो गयी थी जिससे गिर जाने के कारण विशम्भर के चोटे आयी थी। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु जिरह में अभियोजन पक्ष इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे

अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। बचावपक्ष ने इस साक्षी से जिरह किया तो जिरह में भी इस साक्षी ने यह कहा कि घटना वाले दिन उसके परिवार के चाचा के लडके का तिलक था। उसने घटना आपनी ऑखों से नहीं देखी थी। इस प्रकार पी0डब्लू0 2 के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि पी0डब्लू0 2 घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था उसने कोई घटना अपनी ऑखों से नहीं देखी। पी0डब्लू0 2 के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है।

15. पी0डब्लू0 3 महेन्द्र सिंह परीक्षित हुए हैं, इन्होंने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 27.06.2014 की रात करीब 10–11 बजे की बात है। उसके गॉव में रावेन्द्र के घर लगुन का कार्यक्रम का खाना चल रहा था और डी0जे0 बज रहा था। उस दिन उसे गोविन्द व विशम्भर के बीच झगडा होते हुए नहीं देखा था। गोविन्द ने विशम्भर के साथ कोई मारपीट नहीं की। अभियुक्त राजूपाल व गोविन्द वर्मा ने विशम्भर कठेरिया को न ही कोई जातिसूचक गाली–गलौज किया न ही मारपीट की। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु जिरह में अभियोजन पक्ष इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। बचावपक्ष ने इस साक्षी से जिरह किया तो जिरह में भी इस साक्षी ने यह कहा कि दिनांक 27.06.2014 को रात 10–11 बजे के बीच रावेन्द्र के घ्ज्ञर पर मौजूद था। उस दौरान राजूपाल व गोविन्द वर्मा की विशम्भर कठेरिया के साथ जातिसूचक गाली–गलौज करते हुए और मारपीट करते तथा जान से मारने की धमकी देता न देखा था न सुना। उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पी0डब्लू0 3 के भी सम्पूर्ण बयान के अवलोकन से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि वह उसने ऐसी कोई घटना नहीं देखी न ही ऐसी किसी घटना की जानकारी है।

16. पी0डब्लू0 4 बिजेन्द्र सिंह जिसे घटना का चश्मदीद साक्षी कहा गया है और घ ाटना के वक्त वादी को बचाने का कथन वादी पी0डब्लू0 1 ने अपने बयान में कहा है। इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक के विपरीत पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि दिनांक 27.06.2014 को रात 10–11 बजे उसके गॉव के रावेन्द्र के घर लगुन के कार्यक्रम का खाना चल रहा था। डी0जे0 बज रहा था। उस दिन उसने गोविन्द व विशम्भर के बीच झगडा होते नहीं देखा था। गोविन्द ने विशम्भर के साथ कोई मारपीट नहीं की। गोविन्द व राजूपाल ने विशम्भर के साथ न कोई जातिसूचक गालियॉ दी न मारपीट की न ही जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु जिरह में अभियोजन पक्ष इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। बचावपक्ष ने इस साक्षी से जिरह किया तो जिरह में भी इस साक्षी ने यह कहा कि दिनांक 27.06.2014 को रात 10–11 बजे रावेन्द्र के घर पर मौजूद था। उस दौरान राजूपाल व गोविन्द को विशम्भर कठेरिया के साथ जातिसूचक गाली–गलौज व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी व जातिसूचक गालियॉ नहीं दी थी। उसे घटना की कोई जानकारी

नहीं है। पी0डब्लू0 4 के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि घटना वाले दिन वह रावेन्द्र के घर पर ही मौजूद था। उस दौरान राजूपाल व गोविन्द को विशम्भर कठेरिया के साथ जातिसूचक गाली–गलौज व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी व जातिसूचक गालियॉ नहीं दी थी। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

17. पी0डब्लू0 5 सतेन्द्र सिंह परीक्षित हुए हैं इन्होंने भी अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में अभियोजन कथानक के विपरीत पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि दिनांक 27.06.2014 को रात करीब 11:00 बजे गॉव में रावेन्द्र सिंह के लडके का तिलक के कार्यक्रम में निमंत्रण में गया था। मौके पर मौजूद था। उसके सामने मुल्जिमान राजूपाल, धीरूपाल, आलोक पाल व भूपेन्द्र पाल आदि ने विशम्भर कठेरिया को न तो कोई जातिसूचक गाली–गलौज किया और न ही लात–घूसों से मारापीटा न जान से मारने की धमकी दी। उसके सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु जिरह में अभियोजन पक्ष इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। बचावपक्ष ने इस साक्षी से जिरह किया तो जिरह में भी इस साक्षी ने यह कहा कि उसने घटना वाले दिन घटनास्थल पर मुल्जिमान राजू व गोविन्द को नहीं देखा था। उक्त मुल्जिमानों ने विशम्भर के साथ न तो मारपीट की न ही जातिसूचक गालियॉ दी न ही जान से मारने की धमकी दी। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर डी0जे0 बज रहा था गॉव के लोग नाच रहे थे। धक्का–मुक्की में चोटे आ गयी थी। पी0डब्लू0 5 के सम्पूर्ण साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि वह घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद था। मुल्जिमान राजूपाल व गोविन्द द्वारा वादी के साथ न तो मारपीट की गयी न ही गाली–गलौज किया गया न ही जान से मारने की धमकी दी गयी न ही जातिसूचक गाली दी गयी।

18. पी0डब्लू0 6 ब्रजेश कुमार परीक्षित हुए हैं, इन्होंने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत पक्षद्रोही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 27.06.2014 को रात 121:00 बजे गॉव के रावेन्द्र के लडके का तिलक का कार्यक्रम में निमंत्रण में गया था। उसके सामने राजूपाल, धीरूपाल व आलोक पाल तथा भूपेन्द्र पाल आदि ने विशम्भर कठेरिया के साथ न तो जातिसूचक गालियॉ दी, न लात–घूसों से मारपीट की न ही जान से मारने की धमकी दी। उसके सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी, परन्तु जिरह में अभियोजन पक्ष इस साक्षी से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकाल सका, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। बचावपक्ष ने इस साक्षी से जिरह किया तो जिरह में भी इस साक्षी ने यह कहा कि दिनांक 27.06.2014 को रात 11:00 बजे विशम्भर के साथ राजू व गोविन्द ने न तो मारपीट की न ही गाली–गलौज किया न ही जातिसूचक गालियॉ दी न ही जान से मारने की धमकी दी।

पी0डब्लू0 6 के भी सम्पूर्ण साक्ष्य से कथित घटना साबित नहीं होती है।

19. मजरूब/ वादी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर सरदमन सिंह परीक्षित हुए हैं, इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 28.06.2014 को वह सी0एच0सी0 सौरिख पर बतौर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन चौकीदार अनार सिंह थाना सौरिख जिला कन्नौज मजरूब विशम्भर कठेरिया को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लेकर आया था। मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित कर चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसे निम्न चोटे पायी गयी थी–

चोट सं0 1. एक नीलगू निशान चेहरे के बांयी ओर मौजूद था, जो कि बांयी ऑख के नीचे था जिसका आकार 2 X 1 से0मी0 था।

चोट सं0 2. एक खुरचन का निशान मजरूब के बांयी ऑख के पलको के पास था जिसका आकार 0.5X 2.5 से0मी0 था। खुरचन के उपर लाल कलर की पपड़ी जमी हुई थी।

चोट सं0 3. बांयी ऑख खून जमा हुआ था। ऑख लाल थी।

चोट सं0 4. नाक के दोनों छेदों से रक्त स्त्राव हो रहा था।

चोट सं0 5. उपरी होंठ के अंदर की तरफ चोटिल सूजन थी जो कि उपर की तरफ मूंछों के भाग में फैली थी जिसका 4 X 3 से0मी0 था।

इनकी राय में चोट सं0 1,2 व 5 सख्त कुन्दाले से आयी थी और साधारण थी, जो एक दिन से कम पुरानी थी। जबकि चोट सं0 3 व 4 के लिये मजरूब को जिला अस्पताल एक्सरे नाक की हड्डी व नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास इलाज के लिये व विशेषज्ञ राय के लिये रिफर किया गया था। चिकित्सीय आख्या को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

जब बचावपक्ष ने जिरह किया तो जिरह में इस साक्षी ने यह कहा कि उसने मजरूब से पूछा था कि उसके कहॉ कहॉ चोटे लगी थी, मजरूब ने बताया था कि घटना के दौरान उसके कहॉ कहॉ चोटे आयी थी। नीलगू निशान 24 घण्टे तक लाल रहता है और उसके बाद नीला हो जाता है। चोट का रंग नीलीमा लिये हुआ लाल रंग का था। चोट लगने के 24 घण्टे बाद पपडी आ जाती है। 24 घण्टे के बाद पपडी का रंग हल्का नीला हो जाता है। मजरूब की एक्सरे प्लेट या एक्सरे रिपोर्ट उसे नहीं मिली थी जिस कारण उसने पूरक आख्या तैयार नहीं की थी। यह सभी चोटे मजरूब के किसी सख्त वस्तु जैसे खडंजा आदि पर गिरने से आ सकती है।

इस प्रकार डॉक्टर के सम्पूर्ण बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि पी0डब्लू0 7 ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मजरूब को चोटे किसी सख्त वस्तु जैसे खडंजा आदि पर गिरने से आ सकती है। वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 ने भी अपनी जिरह में यह कहा है कि घटना वाले दिन डी0जे0 बज रहा था लोग शराब पीकर नाच रहे थे। लोगों में आपस में झगडा हो गया और धक्का–मुक्की में वह सख्त फर्श पर गिया था जिस कारण उसे चोटे आ गयी थी।

20. जहॉ तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र एक्सरे रिपोर्ट

मजरूब विशम्भर प्रदर्श क–3, चिक/एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–4, जी0डी0 प्रदर्श क–5, नक्शानजरी प्रदर्श क–6 व आरोपपत्र प्रदर्श क–7 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किये जाने का प्रश्न है तो मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार लेने मात्र से अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे साबित न करे।

21. उपरोक्त समस्त विवेचन के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्यक रूप से साबित नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्ता सिद्ध हो सके। अतः अभियुक्तगण अपने विरूद्ध लगाये गये आरापों से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण राजूपाल व गोविन्द वर्मा को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 42/2019 धारा 323/34,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0 /एस0टी0 एक्ट के आरोपों में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437 ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बीस–बीस हजार रूपये का एक निजी बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के एक–एक जमानती अन्दर सात दिन में दाखिल करें।

वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 विशम्भर कठेरिया द्वारा न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया है। अतः वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 विशम्भर कठेरिया के विरूद्ध धारा 383 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाये।

दिनांकः–18.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनॉकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–18.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।

J.O. Code I.D 1570